न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 666 सन 2019

अनवान :–

1. कृष्णचन्द पुत्र बनवारीलाल जाति जाट निवासी सोनडीं तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादी

दावा इस्तकरार हक अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :– श्री राजपाल झोरड अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 23/09/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आश्य का पेश किया की रोही मौजा मेधसिहपुरा के खाता संख्या 26/22 की कुल 5.0590हैक में से 1/2 हिस्सा , खाता संख्या 30/29 की कुल 4.2240हैक में सयुक्त तौर से 60 हिस्सा में 1/2 हिस्सा खाता संख्या 113/105 की कुल 0.5440हैक मे सयुक्त तौर से 40 हिस्सा में 1/2 हिस्सा भूमि वादी के नाम दर्ज है

उक्त भूमि मे वादी का नाम कृष्णलाल व कृष्ण पुत्र बनवारीलाल दर्ज कर रखा है जबकि वादी का सही नाम कृष्णचन्द्र पुत्र बनवारीलाल है सहवन से राजस्व रिकार्ड तैयार करते समय वादी का नाम गलत तौर से दर्ज किया गया है वादी का सही नाम कृष्णचन्द्र पुत्र बनवारीलाल है यही नाम सभी दस्तावेजात में दर्ज है।

वादी के सभी दस्तावेजात जैसे भारत निर्वाचन आयोग का मतदाता फोटो पहचान पत्र , भारत सरकार का आम आदमी का आधार कार्ड , परिवार राशन कार्ड सभी में वादी का नाम कृष्णचन्द्र पुत्र बनवारीलाल दर्ज है किन्तु राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम कृष्णलाल व कृष्ण दर्ज किया गया है जो गलत है।

वादी का राजस्व रिकार्ड में नाम गलत तौर से दर्ज होने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी को राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली केसीसी , खाद बीज का ऋण , मुआवजा व अन्य योजनाओं का लाभ प्राप्त नही हो पा रहा है वादी का अन्य किसी सहखातेदार से कोई अनुतोष नही है वादी केवल राजस्व रिकार्ड में अपना नाम संशोधन करवाना चाहता है।

अतः वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाकर कृष्णलाल , कृष्ण के स्थान पर कृष्णचन्द्र पुत्र बनवारीलाल संशोधन करने के आदेश फरमावे वादी का वाद डिक्री फरमावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 की और से पेरोकार राज उपस्थित होकर जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे जबाब शामिल मिलस किया गया। उभयपक्षों की बहस सुनी ।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा मेधसिहपुरा के खाता संख्या 26/22 की कुल 5.0590हैक में से 1/2 हिस्सा , खाता संख्या 30/29 की कुल 4.2240हैक में सयुक्त तौर से 60 हिस्सा में 1/2 हिस्सा खाता संख्या 113/105 की कुल 0.5440हैक मे सयुक्त तौर से 40 हिस्सा में 1/2 हिस्सा भूमि वादी के नाम दर्ज है

उक्त भूमि मे वादी का नाम कृष्णलाल व कृष्ण पुत्र बनवारीलाल दर्ज कर रखा है जबकि वादी का सही नाम कृष्णचन्द्र पुत्र बनवारीलाल है सहवन से राजस्व रिकार्ड तैयार करते समय वादी का नाम गलत तौर से दर्ज किया गया है वादी का सही नाम कृष्णचन्द्र पुत्र बनवारीलाल है यही नाम सभी दस्तावेजात में दर्ज है।

वादी के सभी दस्तावेजात जैसे भारत निर्वाचन आयोग का मतदाता फोटो पहचान पत्र , भारत सरकार का आम आदमी का आधार कार्ड , परिवार राशन कार्ड सभी में वादी का

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

नाम कृष्णचन्द्र पुत्र बनवारीलाल दर्ज है किन्तु राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम कृष्णलाल व कृष्ण दर्ज किया गया है जो गलत है।

वादी का राजस्व रिकार्ड में नाम गलत तौर से दर्ज होने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी को राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली केसीसी , खाद बीज का ऋण , मुआवजा व अन्य योजनाओं का लाभ प्राप्त नही हो पा रहा है वादी का अन्य किसी सहखातेदार से कोई अनुतोष नही है वादी केवल राजस्व रिकार्ड में अपना नाम संशोधन करवाना चाहता है।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार की रोही मौजा मेधसिहपुरा के खाता संख्या 26 / 22 की कुल 5.0590हैक में से 1 / 2 हिस्सा , खाता संख्या 30 / 29 की कुल 4.2240हैक में सयुक्त तौर से 60 हिस्सा में 1 / 2 हिस्सा खाता संख्या 113 / 105 की कुल 0.5440हैक मे सयुक्त तौर से 40 हिस्सा में 1 / 2 हिस्सा भूमि में वादी का नाम कृष्णलाल , कृष्ण दर्ज है।

वादी का कथन है कि वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय कृष्णचन्द पुत्र बनवारीलाल के स्थान पर कृष्णलाल , कृष्ण दर्ज किया गया है सही नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के मतदाता पहचान पत्र, आम आदमी का आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, दस्तावेजात सभी में वादी का नाम कृष्णचन्द पुत्र बनवारीलाल दर्ज है। वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात से वादी का नाम कृष्णचन्द पुत्र बनवारीलाल होना प्रतित होता है तथा सरपंच ग्राम पंचायत सोनडी के अनुसार भी वादी का सही नाम कृष्णचन्द पुत्र बनवारीलाल है।

वादी के राजस्व रिकार्ड एवं प्रस्तुत अन्य दस्तावेजात में वादी के नामों में भिन्नता है तहसीलदार राजस्व नोहर के अनुसार वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है साथ ही यदि वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाता है तो राज्य सरकार को किसी प्रकार की हानी नही होती है बल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधित होता है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात , शपथ पत्र / सरपंच ग्राम पचांयत सोनडी का प्रमाण पत्र / पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐतराज पेश होने के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं सरपंच ग्र्राम पंचायत सोनडी के प्रमाण पत्र तथा पेरोकार राज को किसी प्रकार को ऐतराज नही होने के कारण वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मेधसिहपुरा के खाता संख्या 26 / 22 की कुल 5.0590हैक में से 1 / 2 हिस्सा , खाता संख्या 30 / 29 की कुल 4.2240हैक में सयुक्त तौर से 60 हिस्सा में 1 / 2 हिस्सा खाता संख्या 113 / 105 की कुल 0.5440हैक मे सयुक्त तौर से 40 हिस्सा में 1 / 2 हिस्सा भूमि में वादी का नाम कृष्णलाल , कृष्ण पुत्र बनवारीलाल दर्ज है के स्थान पर कृष्णचन्द उर्फ कृष्णलाल पुत्र बनवारीलाल संशोधित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकिन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23/09/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :– सुश्री श्वेता कोचर (आर.ए.एस)

अनवान :–

1. कृष्णचन्द पुत्र बनवारीलाल जाति जाट निवासी सोनडीं तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 666 सन 2020 निर्णय दिनांक– 23/09/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादीयागण एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्यों के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा मेधसिहपुरा के खाता संख्या 26/22 की कुल 5.0590हैक में से 1/2 हिस्सा , खाता संख्या 30/29 की कुल 4.2240हैक में सयुक्त तौर से 60 हिस्सा में 1/2 हिस्सा खाता संख्या 113/105 की कुल 0.5440हैक मे सयुक्त तौर से 40 हिस्सा में 1/2 हिस्सा भूमि में वादी का नाम कृष्णलाल , कृष्ण पुत्र बनवारीलाल दर्ज है के स्थान पर कृष्णचन्द उर्फ कृष्णलाल पुत्र बनवारीलाल संशोधित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकिन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 23/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)